मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आपातकालीन प्रबंधन समूह (CMG) की दिनांक–08.02.2019 को सुखाड़ की समीक्षा हेतु सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः सूची संलग्न।

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बताया गया कि राज्य के 25 जिलो के 280 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है तथा अल्प वर्षापात के मद्देनजर सूखे की स्थिति की लगातार समीक्षा करने की आवश्यकता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि आगामी लोक सभा चुनाव के मद्देनजर सुखाड़ की स्थिति पर निगरानी रखने हेतु जिला स्तर पर चुनाव कार्य से सुखाड़ आपदा प्रबंधन से संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों को मुक्त करने पर विचार–विमर्श करने की आवश्यकता है।

1. **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग** :– भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान में राज्य के विभिन्न हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा हो रही है, जो 16–17 फरवरी को दुवारा हो सकती है। उस अवधि में ओलावृष्टि की भी संभावना हो सकती है।

2. **सुखाड़ की स्थिति पर निगरानी रखने हेतु जिला स्तर पर चुनाव कार्य से सुखाड़ आपदा प्रबंधन से संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों को मुक्त करने पर विचार–विमर्शः–**

   प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जिला स्तर पर आगामी लोक सभा चुनाव के मद्देनजर जिला पदाधिकारी को चुनाव करवाने में पदाधिकारियों की आवश्यकता को देखते हुए सुखाड़ की निगरानी हेतु जिला/ प्रखण्ड स्तर पर निम्न पदाधिकारियों को चुनाव कार्य से मुक्त करने का प्रस्ताव दिया गयाः–

   i. उप विकास आयुक्त
   ii. प्रभारी उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन
   iii. जिला कृषि पदाधिकारी
   iv. जिला पशुपालन पदाधिकारी
   v. कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
   vi. कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग
   vii. कार्यपालक अभियंता, ऊर्जा विभाग
   viii. प्रखण्ड स्तर पर मनरेगा से संबंधित सभी प्रोग्राम पदाधिकारी

   जिला स्तर पर जिला टास्क फोर्स की बैठक में उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सुखाड़ की समीक्षा की जाएगी तथा सुखाड़ आपदा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तर पर प्रभारी उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन समन्वय का कार्य करेंगे।

विमर्शोपरान्त यथा संभव निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को निर्वाचन कार्य से मुक्त रखने हेतु निर्वाचन विभाग से अनुरोध करने का निर्णय लिया गयाः–

i. सूखाग्रस्त घोषित 25 जिले के **उप विकास आयुक्त** को निर्वाचन कार्य से मुक्त रखा जाय तथा जिला पदाधिकारी की व्यस्तता निर्वाचन कार्य में अत्यधिक होने के कारण इनकी अध्यक्षता में जिला टास्कफोर्स की बैठक आहुत की जायेगी।

ii. सूखाग्रस्त घोषित जिले के **प्रभारी उपसमाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन** सुखाड़ आपदा प्रबंधन हेतु समन्वयक का कार्य करेंगे तथा इन्हें भी निर्वाचन कार्य से मुक्त रखा जाय।

iii. सूखाग्रस्त घोषित जिले के **जिला कृषि पदाधिकारी एवं कृषि समन्वयक** को निर्वाचन कार्य से मुक्त रखा जाय।

iv. सूखाग्रस्त घोषित जिले के **जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं भ्रमणशील पशु चिकित्सक** को निर्वाचन कार्य से मुक्त रखा जाय।

v. सूखाग्रस्त घोषित जिले के **लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी** को निर्वाचन कार्य से मुक्त रखा जाय।

vi. सूखाग्रस्त घोषित जिले के **जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता** तथा **50 प्रतिशत कनीय अभियंता** को निर्वाचन कार्य से मुक्त रखा जाय।

vii. सूखाग्रस्त घोषित जिले के **उर्जा विभाग के सभी अभियंता एवं कर्मी** को निर्वाचन कार्य से मुक्त रखा जाय।

viii. सूखाग्रस्त घोषित जिले के **मनरेगा से संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं 50 प्रतिशत कनीय अभियंता तथा तकनीकी सहायक (टी0पी0ए0)** को निर्वाचन कार्य से मुक्त रखा जाय।

3. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन के द्वारा सुखाड़ की विषम परिस्थिति होने पर जिला स्तर पर जिला **आपातकालीन संचालन केन्द्र** को 24 X 7 क्रियाशील करने तथा इसका दूरभाष संख्या को राज्य मुख्यालय स्तर से समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का प्रस्ताव दिया गया।

मुख्य सचिव के द्वारा सभी सूखाग्रस्त घोषित जिले के जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र का दूरभाष संख्या प्राप्त कर समाचार पत्रों में विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

ह0/–

(दीपक कुमार)
मुख्य सचिव
बिहार

ज्ञापांक ..../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि:– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ ऊर्जा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, फुलवारी शरीफ, पटना/क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू–जल आयोग, 6ठा एवं 7वां तल, लोकनायक जयप्रकाश भवन, फ्रेजर, रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(एम0 रामचन्द्रुडु)
अपर सचिव

ज्ञापांक ..../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि:– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव

ज्ञापांक ....548..../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 22/2/19

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेब साईड पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव